न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **238/17 (वाद)**

1. श्री सुशीला पिता नन्दलाल तेली निवासी मावली तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता वादीयां।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 15.01.2019

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 1650 किता 1 रकबा 3 बिस्वा आ.चा.। उक्त कृषि भूमि किस्म आ.चा.(कुंआ) वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादीयां सुशीला पिता नन्दलाल तेली के नाम से स्वतंत्र खातेदारी हक से वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी साथ संलग्न हैं। वादीयां की उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1650 रकबा 3 बिस्वा किस्म आ.चा. (कुंआ) वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हैं किन्तु उक्त जमीन पर पिछले लम्बे समय से मौके पर कुंआ स्थित नहीं है तथा मौके पर कुंआ स्थित नहीं होकर बजंड भूमि है तथा वादीयां कृषि कार्य कर रही है। पूर्व में वादीयां की उक्त किस्म भूमि के आस पास अन्य कृषि भूमियों में वाद वर्णित आराजी से सिंचित थी किन्तु उक्त किस्म भूमि कुंए में पानी नहीं होने से पिछले लगभग 20 वर्षों से उक्त कुंआ सुख गया तथा वादीयां द्वारा तत्समय से भरा जाकर उक्त भूमि पर वादीयां कृषि कार्य करती आ रही है अब वर्तमान में बजंड भूमि है इसलिए वादीयां उक्त वर्णित भूमि को किस्म परिवर्तन करा किस्म बंजड घोषित कराये जाने की अधिकारिणी है। जिससे वह उक्त भूमि का सही ढंग से आवादान कर सकें।
2. वाद कारण दिनांक 20.05.17 को उत्पन्न हुआ जब मुझ वादीयां द्वारा प्रतिवादी से उक्त वर्णित भूमि के किस्म परिवर्तन हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी सं. 1 भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ने मना कर दिया है कहां की

राजस्व न्यायालय का आदेश लाओ तब उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार की डिक्री प्रदान कराई जावें कि वाद में वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1650 रकबा 3 बिस्वा आ.चा से किस्म परिवर्तित करा बंजड कृषि भूमि वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे सुशीला पिता नन्दलाल तेली निवासी मावली में आराजी सं. 1650 रकबा 3 बिस्वा किस्म आ.चा. होकर खातेदारी दर्ज हैं। मौके पर वर्तमान में कुंआ मौजुद नहीं होकर उक्त जगह खाली समतल भूमि है व भूमि मौके पर खाली पडी है। यहां कई वर्षों से कुंआ अनुपयुक्त व सूखा होने से तथा पडोस में आबादी क्षैत्र में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा कचरा डालने से कुंआ भर गया हैं। वर्तमान में उक्त भूमि/आराजी पर कुंए का कोई निशान मौजुद नहीं होकर खाली समतल पडत भूमि हैं। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।

4. साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती सुशीला, पीडब्ल्यू 2– श्री जगदीशचन्द्र, पीडब्ल्यू–3 श्री नारायणलाल का शपथ पत्र पेश किया गया।

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीयां की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में वादीयां के नाम पर दर्ज होकर किस्म आ.चा. कुआ रकबा 3 बिस्वा दर्ज हैं। चूंकि वादीयां द्वारा उक्त भूमि को मौके पर समतल होना बताकर भूमि की किस्म परिवर्तन कराने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में भी कई वर्षों से कुंआ अनुपयुक्त व सुखा होने से आबादी में रहने वाले लोगों द्वारा कचरा डालकर भर दिया जाना बताया हैं। मौके पर कुंआ नहीं होकर खाली समतल भूमि हैं। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत् इस न्यायालय को किस्म परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अतः उक्त वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं आने से स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सुशीला पिता नन्दलाल तेली निवासी मावली तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 238/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.01.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली